

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सागर संभाग,सागर (म0प्र0)
10, सिविल लाईन, कमिश्नर बंगला के पास सागर फोन/फेक्स 07582-224122
Email: jdhsagar@rediffmail.com

प्रमाणित सब्जी एवं मसाला बीजों के संभाग स्तर पर क्रय हेतु
निविदा प्रपत्र

वर्ष 2015-16 में प्रमाणित सब्जी/मसाला बीजों की
आपूर्ति हेतु निविदा प्रपत्र

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग सागर मध्यप्रदेश

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सागर संभाग,सागर (म0प्र0)
10, सिविल लाईन, कमिश्नर बंगला के पास सागर फोन/फेक्स 07582-224122
Email: jdhsagar@rediffmail.com

प्रमाणित सब्जी एवं मसाला बीजों के संभाग स्तर पर क्रय हेतु निविदा प्रपत्र

- निविदा फार्म प्राप्त करने की निर्धारित तिथि एवं समय सीमा : 8.06.2015 से 22.06.2015
- निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय : 22.06.2015 (दोपह 1.00 बजे तक)
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय :22.06.2015 (दोपहर 3.00 बजे)

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग सागर मध्यप्रदेश

प्रमाणित बीजों की प्रदायगी हेतु नियम व शर्तें निम्नानुसार है।

1. अमानत राशि रुपये 1.00 लाख का बैंक ड्रफ्ट जो कि संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, सागर संभाग सागर के नाम से देय होगा। जो कि निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। अमानत राशि के अभाव में निविदा अमान्य मानी जावेगी।
2. निविदाकारों की जिन बीजों की दरें न्यूनतम प्राप्त होंगी, समिति द्वारा अनुमोदन के पश्चात निविदाकर्ता को अनुबंध के समय उन बीजों के अंतिम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जावेगे तो, उनके द्वारा प्रस्तुत दरें स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
3. उपरोक्त बीजों की दरें F.O.R. जिला कार्यालय पहुँचाकर प्रदायगी की रहेगी। अलग से कोई भी अतिरिक्त राशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
4. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अंतिम बीज प्रमाण-पत्रों का विभाग द्वारा संबंधित बीज प्रमाणीकरण संस्था से सत्यापन कराया जावेगा उसके पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5. बाड़ी किचिन गार्डन हेतु बीजों की पैकिंग विभाग की मांग अनुसार लगभग 5 ग्राम से 100 ग्राम तक तथा मिनिक्विट प्रदर्शन हेतु बीजों की पैकिंग लगभग 50 ग्राम से 5 कि०ग्राम तक में छोटे पैकेट तैयार कर प्रदाय करना होगा। जिसकी प्रदाय की जाने वाली मात्रा विवरण, बीज प्रदायगी आदेश देते समय दिया जायेगा। तदनुसार चाही गई छोटी पैकिंग में प्रदायगी सुनिश्चित करना होगी। पैकिंग का अलग से कोई भी अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा।
6. जो किस्में भारत शासन द्वारा नोटिफाईड (अधिसूचित) है उन्हीं फसलों/किस्मों के प्रमाणित बीज क्रय किये जायेंगे।
7. न्यूनतम दरें फसलवार मान्य की जावेगी।
8. जिन निविदाकारों की फसल प्रथम न्यूनतम दरें प्राप्त होंगी, यदि उनके द्वारा निविदा में चाही गई पूर्ण मात्रा उपलब्ध नहीं कराई जावेगी तो, उस स्थिति में द्वितीय, तृतीय व अन्य निविदाकार से उनकी दरों पर शेष मात्रा की पूर्ति करायी जावेगी। जिस हेतु प्रथम या द्वितीय न्यूनतम दरों वाले निविदाकार की कोई भी आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।
9. यदि प्रदाय किये गये बीजों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी जिले या किसान से कोई शिकायत प्राप्त होती है और यदि जांच में सही पायी जाती है तो, उसका निराकरण स्वयं प्रदायकर्ता को करना होगा।
10. प्रदाय किये जाने वाले बीजों की राशि का भुगतान संबंधित जिलों के द्वारा अधिकतम 120 दिवस में कर दिया जावेगा।
11. जिन निविदाकारों की दरें अनुमोदित की जायेगी उन्हें शासकीय कार्य दिवस में तीन दिन के भीतर प्रदाय की जाने वाली मात्रा का अनुमोदित दरों के मान से 3 प्रतिशत या अधिकतम रुपये 2.00 लाख अग्रिम अमानत राशि के रूप में जमा करनी होगी। जो कि बाद में बीजों की आपूर्ति के पश्चात् प्रदायक

को बिना ब्याज के प्रदायगी दिनांक से 120 दिवस में वापस कर दी जायेगी तथा निविदा के साथ जमा की गई राशि को उसी 3 प्रतिशत राशि में समायोजित कर मान्य किया जायेगा।

12. निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दर केवल रुपये प्रति कि०ग्रा०में प्रस्तुत की जावेगी।
13. प्रस्तुत निविदा में सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर आवश्यक रहेंगे।
14. निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा में दर अंको में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है। किसी भी विवाद की स्थिति में शब्दों में दी गई दर को ही मान्य किया जावेगा।
15. 100 रुपये के स्टॉम्प पेपर पर सहमति एवं घोषणा पत्र परिशिष्ट-1 के अनुसार दिया जाना होगा, जो कि नोटरी द्वारा नोटराइज्ड कराकर देना होगा।
16. निविदाओं में दी गई प्रमाणित बीजों की मात्रा अनुमानित है। जो कि निविदा खुलने के पश्चात समिति द्वारा दरों के अनुमोदन के पश्चात तथा निविदा में उपलब्ध प्रमाणित बीजों की मात्रा के आधार पर अंतिम माँग निश्चित की जायेगी।
17. जिन लॉटों के बीजों की प्रदायगी की जावेगी उन बीजों की मूल थैलियों से निकाले गए प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी किये गये मूल टेग अनिवार्य रूप से संभागीय कार्यालय में जमा कराना होगा।
18. बीजों की प्रदायगी आदेश दिनांक से 20 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से पूर्ण करनी होगी।
19. यदि प्रदायक के द्वारा आदेशित मात्रा के अनुसार बीज नहीं प्रदाय किया जावेगा। तो जो अमानत राशि विभाग के पास अग्रिम राशि के रूप में जमा होगी, उसे विभाग राजसात करने हेतु स्वतंत्र होगा तथा ऐसे प्रदायकों को काली सूची में दर्ज किया जायेगा।
20. प्रदाय की जाने वाले बीजों की फसलवार एवं किस्मवार मात्रा का पूर्ण विवरण निविदाकर्ता को निविदा में स्पष्ट रूप से देना होगा।
21. निविदाकर्ता निविदा में दी गई बीजों की मात्रा में से समस्त फसलों के बीजों की मात्रा हेतु अथवा किसी भी एक बीज की कितनी ही मात्रा हेतु निविदा शर्तों के अनुसार निविदा में प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।
22. किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार बिना कोई कारण बताये संयुक्त संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सागर संभाग सागर को होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र संभागीय न्यायालय, सागर होगा।
24. जिन निविदा कर्ताओं की दरों का अनुमोदन विभाग द्वारा किया जावेगा, उनका अनुबंध 3 दिवस के भीतर संबंधित निविदाकर्ता को अनिवार्यतः करना होगा, तथा अनुबंध के साथ सिक्योरिटी राशि जमा कराना होगी।
25. क्रय किये जाने वाले बीजों की मात्रा आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है।

संयुक्त संचालक उद्यान
सागर संभाग सागर

निविदा फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों की चैक लिस्ट :-

8. संकल्प धनराशि रुपये 1 लाख का बैंक ड्राफ्ट ।
9. बीजों के वैध लाईसेन्स की प्रति ।
10. टिन नंबर एवम् पैन नंबर की प्रति ।
11. निविदाकार फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर की प्रति ।
12. यदि निविदाकार स्वयं उपस्थित नहीं होता है तो, उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत करने एवं निविदा से संबंधित समस्त कार्यवाही हेतु दिये गये अधिकार पत्र की मूल प्रति स्वप्रमाणित हस्ताक्षर सहित ।
13. विभाग को प्रमाणित बीजों की प्रदायगी बाबत 100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र ।
14. काली सूची में एवं किसी भी संस्था द्वारा दण्डित न होने पर एवं किसी भी न्यायालय में प्रकरण विचारधीन न होने का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड किया हुआ घोषणा पत्र ।

परिशिष्ट-अ

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सागर संभाग, सागर (म०प्र०)

10, सिविल लाईन, कमिश्नर बंगला के पास सागर फोन/फेक्स 07582-224122

Email: jdhsagar@rediffmail.com

पत्र क्र०.....

दिनांक.....

प्रति,

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग सागर

महोदय,

1. प्रदायक का नाम एवं पता-
2. फोन नं० फेक्स नं०.....
3. टिन नं०
4. पेन नं०
5. बीज लाईसेन्स नं० वैधता दिनांक

परिशिष्ट-ब

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सागर संभाग, सागर (म0प्र0)

10, सिविल लाईन, कमिश्नर बंगला के पास सागर फोन/फेक्स 07582-224122

Email: jdhsagar@rediffmail.com

पत्र क्र0.....

दिनांक.....

(प्रमाणित सब्जी/मसाला बीजों की उपलब्धता के संबंध में)

क्र0	फसल का नाम	बीज के कुल पैकेट संख्या	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विं0 में
1	लौकी	86662	21.00
2	करेला	86662	9.50
3	बरबटी	86662	20.50
4	पालक	86662	38.00
5	कद्दू	86662	3.00
6	गिलकी	86662	17.00
7	बैंगन-मिनिकिट्स	12499	12.00
8	टमाटर-मिनिकिट्स	38674	25.00
9	मिर्च-मिनिकिट्स	17042	24.00
10	हल्दी-मिनि.	4724	274.00
11	अदरक-मिनि.	1087	13.00
12	धनिया -मिनिकिट्स	6997	26.00
13	लहसुन-मिनि.	545	21.00
14	प्याज-मिनि.	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग सागर

वित्तीय आफर

कार्यालय संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी सागर संभाग, सागर (म0प्र0)

10, सिविल लाईन, कमिश्नर बंगला के पास सागर फोन/फेक्स 07582-224122

Email: jdhsagar@rediffmail.com

पत्र क0.....

दिनांक.....

वर्ष 2015-16 हेतू प्रमाणित सब्जी एवं मसाला बीजों के कय हेतू वित्तीय आफर

1. प्रदायक का नाम एवं पता-

2. फोन नं0 फेक्स नं0.....

3. ई-मेल

क0	फसल का नाम	किस्म/प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विं. में	प्रदाय दर रूपये प्रति कि0ग्रा0 जिला कार्यालय पहुंचाकर	
				अंको में	शब्दों में
1	लौकी				
2	करेला				
3	बरबटी				
4	पालक				
5	कद्दू				
6	गिलकी				
7	बैंगन				
8	टमाटर				
9	मिर्च				
10	हल्दी				
11	अदरक				
12	धनिया				
13	लहसुन				
14	प्याज				

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर
(निविदाकर्ता)

अनुबंध

परिशिष्ट-स

मेरे द्वारा विभाग की समस्त शर्तों को मान्य करते हुये अपनी निविदा प्रस्तुत की गयी है, तथा हम निम्न मात्रा के प्रदाय हेतु विभाग से आज दिनांक को अनुबंध निष्पादित कर रहे हैं।

क्र०	फसल का नाम	किस्म/प्रजाति	प्रदाय की जाने वाली मात्रा क्विं. में	प्रदाय दर रूपये प्रति कि०ग्रा० जिला कार्यालय पहुंचाकर	
				अंको में	शब्दों में
1	लौकी				
2	करेला				
3	बरबटी				
4	पालक				
5	कद्दू				
6	गिलकी				
7	बैंगन				
8	टमाटर				
9	मिर्च				
10	हल्दी				
11	अदरक				
12	धनिया				
13	लहसुन				
14	प्याज				

यह अनुबंध आज दिनांकको संयुक्त संचालक उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी संभाग सागर के मध्य किया गया है, तथा दिनांक को प्रस्तुत निविदा में मेरी फर्म की विभाग के पत्र क्र०.....

दिनांक के द्वारा प्रमाणित मसाला फसल बीजों की प्रदायगी हेतु अनुबंध निष्पादित कर रहे हैं। जो कि हमें मान्य है।

गवाह 1.

हस्ताक्षर
(निविदाकर्ता)

संयुक्त संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
संभाग सागर म०प्र०

2.